



573/1

दूरभाष- 2286709

2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 4694 / 05 / 76 / एक / 2016-17
सेवा में,

दिनांक : 28 दिसम्बर 2016

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-मऊ।

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रू० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	433802011001024	IFSC Code UBIN0558605	321.893

(धनराशि लाख रू० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण
1	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड संख्या-11 मौजा भटकुआभट्टी दयाराम यादव बस्ती में डामर रोड से रईश का मकान होते हुए हरिजन बस्ती तक मिट्टी भराई कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	16.179
2	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड संख्या-11 भटकुआभट्टी दयाराम में दुरखुर के मकान डामर रोड से दक्षिण स्थित सरकारी नाली तक मिट्टी भराई कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	16.611
3	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड संख्या-11 मौजा भटकुआ भट्टी में दुरखुर के मकान के पास डामर रोड से उत्तर की ओर स्थित कब्रिस्तान तक मिट्टी भराई कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	16.023
4	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड सं०-17 आजाद नगर में मस्जिद से शमशाद का घर होते हुए इस्माईल खां के घर तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	13.755
5	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड सं०-17 मदनपूरा गोलवा में लालचन्द त्यागी के घर से जवाहिर का घर होते हुए सम्पर्क मार्ग तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	7.990
6	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड सं०-17 मदनपूरा गोलवा में हरिश्चन्द्र डाक्टर के घर से रामदयाल के घर तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	7.309
7	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 08 मिर्जाहादीपुरा में इस्तेयाक के घर से मिर्जाहरदपूरा चौक तक इण्टरलाकिंग एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	16.308
8	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 31 बुलाकी पूरा में मंजूर के मकान से वशीम व मुख्तार बकलु के मकान होते हुए बच्चा के हाता तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	13.168



579/2

दूरभाष- 2286709

2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
9	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 21 प्यारे पूरा में खुशीद के मकान से महफुजुर्रहमान का मकान होते हुए सुशील के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	9.426
10	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 21 प्यारे पूरा में ईशा के मकान से मरिजद से समीउल्लाह के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	8.176
11	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 27 डोमन पुरा में जफर नगरद्व इर्शाद के मकान से अताउर्रहमान आरिफ व सईद के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	10.022
12	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 27 डोमन पुरा (जफर नगर) में अबूल कैश के मकान से ओजैर व जहिर हसन के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	5.458
13	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 27 डोमन पुरा जफर नगर में ज्याउल के मकान से गुफरान जकरिया व इर्शाद के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	10.823
14	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 27 डोमन पुरा जफर नगर में मुम्ताज के मकान से अबूलैश अनीस शकूर तथा वहीद के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	12.652
15	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 11 मटकुआ पट्टी में राजू के मकान से मुनव्वर व नुरुल हसन का मकान होते हुए एकबाल के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	4.124
16	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 17 मदन पुरा में मास्टर इरशाद के मकान से मुम्ताज, सलाहुद्दीन व न्याज इस्लाम के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	14.066
17	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 17 मदन पुरा में मोबीन के मकान से समीर व मुल्ला जी इसमाईल के मकान से होते हुए अली अनवर व ज्याउलहक के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	14.649
18	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 17 मदन पुरा में एहसान के मकान से ज्याउल हसन मरिजद अबू हनीफ व परवेज से सेराज व इश्तेयाक मुख्तार के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	15.512
19	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 17 मदन पुरा गोलव्वाद्ध में हाजी सगीर के मकान से इर्शाद पप्पू शमीम व हिफजुर्रहमान के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	12.189
20	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड सं० 33 अलीनगर नवापूरा में इरशाद के घर से अशफाक का घर होते हुए जलालुद्दीन के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	5.267
21	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड सं० 33 अलीनगर नवापूरा में जहीर हसन के मकान से अमीर हमजा का मकान होते हुए मोहम्मद अली के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	4.360
22	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड सं० 33 अलीनगर नवापूरा में अब्दुल करीम के मकान से अमरुद्दीन के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	3.061



573/3

दूरभाष- 2286709

2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अधिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण
23	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 मऊ	वार्ड सं० 33 अलीनगर नवापूरा में नेसार के घर से लालू के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	4.836
24	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 मऊ	वार्ड सं० 33 अलीनगर नवापूरा में मन्दू के घर से रेलवे लाईन तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	3.621
25	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 मऊ	वार्ड सं० 33 अलीनगर नवापूरा में जावेद के घर से रेलवे लाईन तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	3.207
26	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 मऊ	वार्ड सं० 33 अलीनगर नवापूरा में अलीनगर चट्टी से अनवारूल के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	6.032
27	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 मऊ	वार्ड सं० 33 अलीनगर नवापूरा में एहसानुलहक के मकान से अनवार के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	3.061
28	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प0 मऊ	वार्ड नं० 18 हकीकतपुर में शिवमंदिर गंगापुर से विनोद के घर से शंकर यादव के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	10.966
29	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प0 मऊ	वार्ड नं० 18 हकीकतपुरा में डा० चिराग के घर से बेलाल अंसारी, हाजी इश्तेयाक से मुसहर बस्ती तक कवर्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	17.432
30	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प0 मऊ	वार्ड नं० 18 हकीकतपुरा में मदनबाबू से रामसाहब एवं नरेन्द्र के घर तक कवर्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	18.270
31	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प0 मऊ	वार्ड नं० 18 हकीकतपुरा में परमिन्द्र शर्मा के मकान से विरेन्द्र मौर्या के मकान से बनवारी से धीरज मौर्या के मकान तक कवर्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	17.340
	योग				321.893

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।



573/4

दूरभाष- 2286709
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि झूठा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त परियोजनाओं में सेन्टेज के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि अभिकरण पर नहीं रोकी गयी है।

भवदीय,


(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।


(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक